संख्या— /54—1—13/8(11)/2011

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1— **समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,**
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर,
(जनपद—गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, कासगंज तथा शामली को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

2— **आयुक्त एवं प्रशासक,**
शारदा सहायक समादेश,
23सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।

3— **अध्यक्ष एवं प्रशासक,**
रामगंगा कमाण्ड परियोजना,
117/एच—2/193, पाण्डु नगर, कानपुर।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग—1 लखनऊ दिनांक 10 जनवरी, 2013
(समादेश बन्धु)

विषय— **समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के मूल्यांकन की दरों को पुनरीक्षित किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

शासनादेश संख्या 726/54—1—12/8(11)/2011 दिनांक 03 अक्टूबर, 2012 द्वारा स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी (एसएलएनए), उ0 प्र0 शासन की आयोजित 13वीं बैठक दिनांक 27.08.2012 में लिए गये निर्णयानुसार वर्ष 2012—13 हेतु निम्नलिखित शासकीय संस्थाओं के पैनल को आईडब्ल्यूएमपी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2010—11 में स्वीकृत परियोजनाओं के Preparatory Phase के मूल्यांकन करने हेतु नामित किया गया था।

I. चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
II. नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद।
III. सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।
IV. वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
V. नैनी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीम्ड यूनीवर्सिटी) नैनी, इलाहाबाद
VI. उ0 प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, गोमती नगर, लखनऊ।
VII. राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, इन्दौरा बाग, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
VIII. नेशनल रिसर्च सेन्टर फॉर एग्रो फारेस्ट्री, ग्वालियर रोड, झाँसी।

2. महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ के पत्र संख्या 668 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 एवं निदेशक, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसन्धान केन्द्र, झांसी के पत्रांक पी.एस./8—125/12 दिनांक 12 नवम्बर, 2012 द्वारा तथा दिनांक 09.11.2012 को समीक्षा बैठक में मूल्यांकनकर्ता संस्थाओं द्वारा इस आशय की मांग की गयी है कि आईडब्ल्यूएमपी परियोजना के मूल्यांकन कार्य हेतु प्री—आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के लिए वर्ष 1998 में निर्धारित मूल्यांकन दरों पर ही भुगतान किया जा रहा है अतः इसे पुनरीक्षित किए जाने की आवश्यकता है।

3. शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त आईडब्ल्यूएमपीं परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु पुनरीक्षित दरें निम्नवत् निर्धारित की गई है –

I. प्रारम्भिक चरण (PreparatoryPhase) – ₹ 32 प्रति हेक्टेयर
II. वाटरशेड कार्य चरण (Work Phase) – ₹ 38 प्रति हेक्टेयर
III. समेकन और निवर्तन चरण (Consolidation Phase)– ₹ 38 प्रति हेक्टेयर

4. उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। पुनरीक्षित दरों में ***यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, मानदेय, स्टेशनरी, मूल्यांकन प्रतिवेदन का आलेखन (Report Writing)*** आदि समस्त व्यय सम्मिलित होगें।

भवदीय,

(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या 13 (1)/54–1–13/8(11)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टाफ आफीसर कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 शासन ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0 शासन।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
5. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
6. कुलषति, नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज,फैजाबाद।
7. कुलपति, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ।
8. कुलपति, वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी।
9. कुलपति, नैनी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीम्ड यूनीवर्सिटी) नैनी, इलाहाबाद।
10. निदेशक, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद,गोमती नगर, लखनऊ।
11. महानिदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, इन्दौरा बाग, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
12. निदेशक, नेशनल रिसर्च सेन्टर फार एग्रो फारेस्ट्री, ग्वालियर रोड झाँसी।
13. प्रशासनिक अधिकारी, एस.एल.डी.सी, 23–सी, गोखले मार्ग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय **वेबसाइट** http://upldwr.up.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें एवं समस्त संबंधित जिलाधिकारियों / अध्यक्ष, डब्ल्यूसीडीसी को ई–मेल भी प्रेषित करें।
14. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
10.1.2013

(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी